फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गोपी बनाम ईश्वर

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111/128 नं0 102 सन् 2020

[दि]नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[...]-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
11/8/20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।	
25/8/20	[illegible] राजकीय [illegible] पर है / पदरिक्त है। कार्य से [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
[1]5-9-20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-प० की गई अप्रार्थीगण को तीन बार आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा-प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 102/20 प्रा.पत्र

श्री गोपी s/o श्री मन्नालाल जाति निवासी- काशीराम जी की खेड़ी त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री ईश्वर s/o श्री धूला गाडरी निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तहसील-माण्डल

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीराम जी की खेड़ी पटवार हल्का आत्मास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1140/102 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम जी की खेड़ी पटवार हल्का आत्मास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1140/102 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आत्मास 400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:12:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner